रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072024-255170
CG-DL-E-04072024-255170

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 4, 2024/आषाढ 13, 1946
No. 343] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 4, 2024/ASHADHA 13, 1946

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 366(अ).— केन्द्रीय सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 के 61) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात्, दिल्ली विकास प्राधिकरण (आयुक्त और सचिव के पद) भर्ती नियम, 2017 का संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (आयुक्त और सचिव के पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (आयुक्त और सचिव के पद) भर्ती नियम, 2017 की अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (2) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"06* (2024)

* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ";

(ख) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रुपये)। ";

(ग) स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"चयन";

(घ) स्तंभ (10) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(i) प्रोन्नति द्वारा दो पद;
(ii) केंद्रीय स्टाफिंग योजना के माध्यम से प्रतिनियुक्ति द्वारा चार पद ।";

(ङ) स्तंभ (11) में, प्रोन्नति से संबंधित उप-शीर्षक के अधीन, "निदेशक" शब्द के पश्चात्, "(अनुसचिवीय)" कोष्ठक और शब्द अंत: स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. के-11011/16/2017-डीडीII]

सुरेंद्रकुमार बागड़े, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1385 (अ), तारीख 14 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2024

G.S. R. 366(E).— In exercise of the powers conferred by section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), and after consultation with the Delhi Development Authority, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Delhi Development Authority (Posts of Commissioner and Secretary) Recruitment Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Posts of Commissioner and Secretary) Recruitment (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Development Authority (Posts of Commissioner and Secretary) Recruitment Rules, 2017, In the Schedule,-

(a) in column (2), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"06* (2024)
*Subject to variation dependent on work load.";

(b) in column (4), for the column heading and existing entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix.
(4)
Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).";

(c) in column (5), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Selection.";

(d) in column (10), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(i) Two posts by promotion;
(ii) Four posts by deputation through Central Staffing Scheme.";

(e) in column (11), under the sub-heading relating to Promotion, after the word "Directors", the brackets and word "(Ministerial)" shall be inserted.

[F. No. K-11011/16/2017-DDII]

SURENDRAKUMAR BAGDE, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 1385(E), dated the 14th November, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.04 21:00:48 +05'30'